भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 55
गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों को बम की धमकी

***55. डॉ. मोहम्मद जावेदः**

श्री एंटो एन्टोनीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कई विमानों में बम होने की धमकियों के प्राथमिक कारणों अथवा स्रोतों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यात्रियों की सुरक्षा और विमानों के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में आतंकवाद विरोधी और आपातकालीन प्रतिक्रिया से सम्बन्धित उपाय क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ऐसे खतरों से निपटने के लिए, विशेषरूप से खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचारित खतरों सहित भविष्य के खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए किन नियामक उपायों अथवा निगरानी प्रणालियों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"उड़ानों को बम की धमकी" के संबंध में डॉ. मोहम्मद जावेद और श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 55 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): हाल ही में विभिन्न उड़ानों को बम की धमकी के मामले में धमकी भरे संदेशों के प्राथमिक स्रोत सोशल मीडिया ('X'), ईमेल, फोन कॉल और मौखिक संदेश थे।

(ख) : विभिन्न सुरक्षा आकस्मिकताओं से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा तथा उड़ान प्रचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बम धमकी, अपहरण से निपटने और आतंकवाद से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं निर्धारित की गई हैं।

(ग) : भारत ने नागर विमानन सुरक्षा में सहयोग करने, उड़ान के दौरान सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती और संवेदनशील सूचनाओं को साझा करने के लिए कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते/समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं।

(घ) : हाल ही में कई उड़ानों में बम की धमकियों की पृष्ठभूमि में, देश में विमानन सुरक्षा विनियामक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने खतरे के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सांकेतिक कारक ने बीटीएसी को निर्णय लेने में मदद की है। साथ ही, प्री-जेनरेटेड वीडियो लिंक के माध्यम से बीटीएसी की वर्चुअल असेंबली की स्थापना की गई है। इनसे बीटीएसी के प्रतिक्रिया समय में तेजी आई है। इसके अलावा, सभी उड़ानों के लिए अनिवार्य 10% सेकेंडरी लैडर प्वांइट चेक-इन, गैर-अनुसूचित उड़ान प्रचालनों की सख्त निगरानी, संबंधित सुरक्षा उपाय और कार्गो टर्मिनलों पर निगरानी करने के लिए परामर्शिका (एडवाइजरी) जारी की गई थी। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों की जिम्मेदारियों और इसमें असफलता के मामले में परिणामी कार्रवाई पर विस्तृत परामर्शिका (एडवाइजरी) जारी की है।

*****